१४१

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष– पीयूष राम साहू
सदस्य– चित्रा खत्री)

प्रकरण क्रमांकः– 16/2026
संस्थित दिनांकः– 23.04.2026

मेसर्स माहेश्वरी राईस इंडस्ट्रीज, — परिवादी/आवेदक
प्रोप्राईटर रूपेश माहेश्वरी,
ग्रामः– बारगरी, जिलाः उत्तर बस्तर कांकेर,
बी0पी0क्र0 1006315855, (494–337)
मो0नं0 9826134200, 9826370321

विरूद्ध

1. अधीक्षण अभियंता (संचा0/संधा0) वृत्त, — उत्तरवादी/अनावेदक
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
   कांकेर (छ.ग.)
2. कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
   कांकेर (छ.ग.)
3. कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
   कांकेर (छ.ग.)
4. सहायक अभियंता (उपसंभाग),
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,
   कांकेर (छ.ग.)

आदेश

(आज दिनांक 13.07.2026 को पारित)

1. परिवादी द्वारा निम्नानुसार अनुतोष चाहा गया है।

(i) परिवादी द्वारा माननीय फोरम के समक्ष अनावेदकगणों द्वारा प्रकरण के मांगी गई समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किया जावे।

(ii) परिवादी द्वारा विवादित देयक 8,23,860/– की वसूली पर रोक लगाते हुए निरस्त किया जाय।

(iii) विद्युत विच्छेद के कारण अनावेदक को मानसिक एवं अर्थिक क्षति के होने से SOP के तहत् क्षतिपूर्ति प्रदान किया जावे।

2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं हैः–

(i) मेसर्स माहेश्वरी राईस इंडस्ट्रीज ग्राम बारगरी जिला उत्तर बस्तर कांकेर को राईस मिल संचालन हेतु 99 HP का विद्युत कनेक्शन प्रदान है जिसका सर्विस बी0पी0क्र0 1006315855 है।

(ii) दिनांक 05.04.2023 को उक्त कनेक्शन के मीटर को खराब होने पर नये मीटर से बदली किया गया।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि :– परिवादी के परिसर में विद्युत विभाग के सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 30.12.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। पंचनामा के आधार पर विद्युत बिल का डिमांड नोट राशि रू0 8,23,860/– का प्रदाय किया गया। परिवादी द्वारा उक्त विद्युत बिल त्रुटिपूर्ण एवं नियम विरूद्ध करार देते हुए निरस्त किये जाने हेतु शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

परिवादी द्वारा चाहा गया अनुतोष :–

(i) दर्ज प्रकरण से संबंधित मांगी गई समस्त दस्तावेज उत्तरवादी द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

(ii) विवादित देयक राशि रू0 8,23,860/– त्रुटिपूर्ण होते हुए अवैधानिक है। फोरम उक्त रकम की वसूली पर रोक लगाते हुए निरस्त किया जावे।

(iii) त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी करने तथा नियम विरूध विद्युत विच्छेद किये जाने पर परिवादी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है अतः SOP के तहत् क्षतिपूर्ति प्रदान किया जावे।

(iv) अन्य अनुतोष जो माननीय फोरम, उचित समझें परिवादी को प्रदान किया जावे।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

परिवादी द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार अनावेदक का उल्लेख किया गया है:–

1. अधीक्षण अभियंता (संचा0/संधा0) वृत्त, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,कांकेर (छ.ग.)

2. कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कांकेर (छ.ग.)

3. कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कांकेर (छ.ग.)

4. सहायक अभियंता (उपसंभाग), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कांकेर (छ.ग.)

इस प्रकरण में भारसाधक अनावेदक कार्यपालन अभियंता (सं0/सं0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, कांकेर है। अतः संबंधित प्रकरण के विवेचना में अनावेदक क्रमांक 1, 3 एवं 4 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

परिवादी का विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 1006315855 जो 99 एच0पी0 का औद्यागिक कनेक्शन है। जिसका विद्युत मीटर खराब होने के कारण कार्यपालन अभियंता (एस0टी0एम0), कांकेर द्वारा दिनांक 05.04.2023 को मीटर बदली किया गया था। उक्त नये मीटर का Ratio -/5A एवं CT Ratio 100/5A होने के कारण मीटर में प्रति माह के विद्युत खपत यूनिट को Multiplication Factor 20 से गुणांकर विद्युत युनिट का बिल जारी किया जाना था। मीटर बदलने के पश्चात् माह दिसंबर 2025 तक पूर्व में स्थापित मीटर के अनुसार Multiplication Factor 1 से प्रतिमाह के विद्युत खपत को गुणांकर विद्युत देयक जारी किया जा रहा था, जिसे उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जा रहा था।

जांच दल कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) संभाग, कांकेर द्वारा दिनांक 30.12.2025 को परिवादी की परिसर का स्थल निरीक्षण किया गया जिसमें परिवादी का बिलिंग MF-1 के आधार पर होना पाया गया। दिनांक 05.04.2023 से मीटर बदलने के बाद MF 20 के आधार पर बिल जारी किया जाना था त्रुटिपूर्ण बिलिंग के सुधार हेतु स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर सहायक अभियंता कार्यालय चारामा में सुपुर्द किया गया। सतर्कता चेकिंग के आधार पर माह अप्रैल 2023 से माह दिसंबर 2025 तक MF 20 के आधार पर राशि 8,23,860/— रू0 का अतिरिक्त देयक जारी किया गया है।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नालिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते है :— ....

(1) क्या परिवादी प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकारी है।

(2) क्या परिवादी को बिलिंग की गई राशि से छूट (निरस्त) प्राप्त करने का अधिकारी है।

(3) मीटर रीडिंग में हुई त्रुटि के लिये क्षतिपूर्ति के अधिकारी है।

(4) विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने पर मानसिक क्षतिपूर्ति का अधिकारी है।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्र0 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष :— परिवादी द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है संबंधित दस्तावेज फर्म के अधिकृत मुंशी श्री भारत सिन्हा मो0नं0 9098102450 को सौंपा गया है। जिसका पावती अनावेदकगण द्वारा परिवादी एवं फोरम को उपलब्ध करवाई गई है। इन दस्तावेजों में सहायक अभियंता उपसंभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0,

(138)

चारामा का पत्र एवं सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा स्थल निरीक्षण शामिल है। बिलिंग की गई राशि की गणना पत्रक परिवादी को प्रदान किया गया।

विचारणीय प्रश्न क्र0 2 की विवेचना एवं निष्कर्ष :– अधीक्षण अभियंता (कांकेर वृ0), छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, कांकेर द्वारा अनुमोदित देयक रू0 8,23,860/– जो बी0पी0क्र0 1006315855 से संबंधित है। STM कांकेर द्वारा 05.04.2023 को खराब मीटर को बदली किया गया पूर्व के मीटर के अनुसार MF-1 था मीटर बदली पश्चात् MF-20 हुआ। जिसके अनुसार माह अप्रैल 2023 से माह दिसम्बर 2025 तक MF-20 के आधार पर अंतर की राशि रू0 8,23,860/– का देयक जारी किया गया। गणना पत्रक के अवलोकन पर कुछ त्रुटियाँ पायी गई जिसके अनुसार गणना पत्रक सुधारकर रू0 7,96,792/– को उचित पाया गया। परिवादी द्वारा विद्युत अधिनियम की धार 56 (2) के अनुसार 2 वर्ष का पिछला समय सीमा सीमित नहीं करती है। उक्त न्यायदृष्टांत में स्पष्टतः यह दिशा–निर्देश समाहित है कि:–

> Section 56(2) however, does not preclude the licensee company from raising a supplementary demand after the expiry of the limitation period of two years. It only restricts the right of the licensee to disconnect electricity supply due to non-payment of dues after the period of limitation of two years has expired, no does it restrict other modes of recovery which may be initiated by the licensee company for recovery of a supplementary demand.

विचारणीय प्रश्न क्र0 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष :– मीटर रीडिंग में हुई त्रुटि के लिए प्रतिकर की प्राप्तियाँ परिवादी द्वारा यदि आवश्यक हो तो संबंधित वितरण केन्द्र में आवेदन के आधार पर कार्यवाही किया जाना उचित होगा। समयावधि में निराकरण नहीं किये जाने पर फोरम में आवेदन किया जा सकता है। इस संदर्भ में प्रतिकर के भुगतान हेतु संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय में सुसंगत प्रतिकर का दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जिसका उल्लेख विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचना क्रमांक 86/छ0ग0रा0वि0नि0आयोग/2020 के कंडिका 6 में निर्दिष्ठ है।

विचारणीय प्रश्न क्र0 4 की विवेचना एवं निष्कर्ष :– परिवादी द्वारा विद्युत कनेक्शन के एवज में मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग की गई है। विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के पूर्व संबंधित सहायक

अभियंता चारामा द्वारा पत्र क्र0 595 दिनांक 06.03.2026, 12 दिनांक 08.04.2026 द्वारा सूचित किया गया था। भुगतान प्राप्त नहीं होने पर वितरण कंपनी द्वारा दिनांक 09.04.2026 को विद्युत विच्छेद किया गया जिसे 10.04.2026 को आवेदक द्वारा अतिरिक्त जांच देयक को परीक्षण उपरांत उक्त राशि भुगतान हेतु सहमति देते हुए 100000/– रू0 का भुगतान किया गया। दिनांक 10.04.2026 को ही काटी गई विद्युत लाईन को जोड़ दी गई। समुचित समय भुगतान हेतु देने पर भी परिवादी द्वारा भुगतान नहीं किया जिससे विद्युत विच्छेद की स्थिति निर्मित हुई। उपभोक्ता को राहत देते हुए विद्युत कनेक्शन को दूसरे दिन ही 10.04.2026 को चालू कर दिया गया।

6. संपूर्ण प्रश्नों कि विवेचना और उनके निष्कर्ष के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि:– परिवादी से उत्तरवादी/अनावेदक रू0 रू0 7,96,792/– वसूल करने के अधिकारी है।

7. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ0ग0) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर
टंकित कराया गया

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

आदेश पारित किया गया

(चित्रा खत्री)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर

(पीयूष राम साहू)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता परिवेदना (शिकायत)
निवारण फोरम, जगदलपुर